

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल


:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक ।। /04/2022

क्रमांक ६६९ /४९१/२०२२/३८/१ :: डॉ. राजीव चौबे, प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल द्वारा सतत् सेवा अवधि 20 वर्ष से अधिक होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम-१९७६ के नियम-४२ के उपनियम (१) (क) के अंतर्गत दिनांक ३१.०७.२०२२ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

२/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए डॉ. राजीव चौबे, प्राध्यापक, वाणिज्य द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य करते हुए महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


11.04.22
(संघमित्रा गौतम)


उप सचिव

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक ।। /04/2022

पृ.क्रमांक ६७० /४९१/२०२२/३८/१

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल,
 - क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, भोपाल,
 - प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल,
 - डॉ. राजीव चौबे, प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप सचिव

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग